न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 93/2022

कोको पैट्रोल पम्प श्री विजयनगर रोड़, प्रोपराईटर प्रवीन कुमार सरावगी पुत्र श्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 29, रायसिंहनगर

अपीलांट

बनाम

1 स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. छज्जूराम पुत्र श्री भगतराम जाति खे निवासी नकोदर, जिला जालंधर, हाल निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उपतहसीलदार, मुकलावा दिनांक 28.08.2014 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री गुरजीतसिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक : 11.01.2023

अपालांट की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 43 पत्थर नंबर 204/296 में किला नं. 21 की 0.190 हैक्टेयर, किला नं. 22 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.443 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा गंगादेवी बेवा बृजलाल से दिनांक 16.04.1994 को खरीद की थी जिसका बैयनामा अपीलांट के पिता शंकरलाल पुत्र हरकिशन के नाम से तस्दीक हुआ था जिसकी पालना में अपीलांट के पिता के नाम से जमाबंदी में भी इतंकाल दर्ज हो गया था उसके बाद अपीलांट द्वारा उक्त भूमि में पैट्रोल पम्प लेने के लिए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन से बात की और स्वीकृति लेकर वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर से दिनांक 23.07.2003 को कोको पैट्रोल पम्प के नाम से व प्रोपराईटर फर्म के नाम से इसका संपरिवर्तन करवाया गया। इसके बाद दिनांक 16.08.2003 को जिला कलक्टर महोदय से अनापति प्रमाण पत्र जारी करवाया और 06.10.2003 को इसका पट्टा अभिलेख जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से तस्दीक करवाया। इसके बाद आज तक उक्त भूमि में कोको पैट्रोल पम्प के नाम से पम्प का कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 23.07.2003 की पालना में जिला कलक्टर महोदय के आदेश की पालना नहीं करवायी। इसी कारण राजस्व रिकॉर्ड में कोको पैट्रोल पम्प के नाम से भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही था। इसका फायदा उठाते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपने नाम से इतंकाल करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा आदेश है जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं थां अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.08.2014 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 43 पत्थर नंबर 204/296 में किला नं. 21 की 0.190 हैक्टेयर, किला नं. 22 की 0.253 हैक्टेयर कुल

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

0.443 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा गंगादेवी बेवा बृजलाल से दिनांक 16.04.1994 को खरीद की थी जिसका बैयनामा अपीलांट के पिता शंकरलाल पुत्र हरकिशन के नाम से तस्दीक हुआ था जिसकी पालना में अपीलांट के पिता के नाम से जमाबंदी में भी इतंकाल दर्ज हो गया था उसके बाद अपीलांट द्वारा उक्त भूमि में पैट्रोल पम्प लेने के लिए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन से बात की और स्वीकृति लेकर वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर से दिनांक 23.07.2003 को कोको पैट्रोल पम्प के नाम से व प्रोपराईटर फर्म के नाम से इसका संपरिवर्तन करवाया गया। इसके बाद दिनांक 16.08.2003 को जिला कलक्टर महोदय से अनापति प्रमाण पत्र जारी करवाया और 06.10.2003 को इसका पट्टा अभिलेख जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से तस्दीक करवाया। इसके बाद आज तक उक्त भूमि में कोको पैट्रोल पम्प के नाम से पम्प का कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 23.07.2003 की पालना में जिला कलक्टर महोदय के आदेश की पालना नहीं करवायी। इसी कारण राजस्व रिकॉर्ड में कोको पैट्रोल पम्प के नाम से भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही था। इसका फायदा उठाते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपने नाम से इतंकाल करवार लिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा आदेश है जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं थां अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जकार आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.08.2014 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को दिनांक 24.11.2022 को रजिस्ट्री द्वारा तामील करवाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 25.08.2014 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन इतंकाल संख्या 565 उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 25.08.2014 की पालना में दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा मूल आदेश की अपील न करके अपीलाधीन इंतकाल को चुनौती दी गयी है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित अपीलाधीन इतंकाल सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2014 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner